

संख्या-166/सैतीस-2-2023-5(53)/18टीसी-2

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उओप्रो लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2023

विषय- प्रदेश में दिनांक 20.01.2023 से 20.02.2023 तक अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश को गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने के संबंध।

महोदय,

आप अवगत है कि निराश्रित/बैसहारा गोवंश का संरक्षण एवं भरण पोषण प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। शासनादेश संख्या-05/सैतीस-2-2023-5(53)/18टीसी-2, दिनांक 04.01.2023 द्वारा प्रदेश के निराश्रित गोवंश को दिनांक 31.03.2023 तक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निराश्रित गोवंशों के शत-प्रतिशत संरक्षण की दिशा में अभी तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।

2- अतः सम्यक विचारोपस्थान शासन द्वारा दिनांक 20.01.2023 से 20.02.2023 तक अभियान चलाकर निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है-

- (1) शत-प्रतिशत संरक्षण हेतु आवश्यकतानुसार अस्थायी गो आश्रय स्थल की स्थापना कर निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाय।
- (2) निर्माणधीन गो संरक्षण केन्द्रों को पूर्ण कराकर उनमें निराश्रित गोवंश को संरक्षित कर उनके भरण-पोषण की व्यवस्था की जाय।
- (3) गो आश्रय स्थलों पर स्वच्छ पानी की व्यवस्था, ठण्ड से बचाव, साफ-सफाई, भूसा, हरा घारा, चिकित्सा, टीकाकरण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
- (4) शत-प्रतिशत निराश्रित गोवंश को गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित कर जनपद को निराश्रित गोवंश मुक्त जनपद घोषित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार दिनांक 20.01.2023 से 20.02.2023 तक विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश को गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित करने तथा गोवंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, उपर्युक्तानुसार संचालित अभियान की प्रगति रिपोर्ट दिनांक 24.02.2023 तक ई-मेल आईडी-jdgoshala.up@gmail.com पर उपलब्ध कराई जाय।

भवदीय
Signed by देवेन्द्र कुमार
पाण्डेय
(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
Date 19.01.2023 17:19:55
Message Approved

प0स0-166(1)/सैतीस-2-2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माओ पशुधन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष कार्यधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उओप्रो।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।